11/6/

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
अनुभाग–3 (महात्मा गांधी नरेगा), शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक: एफ 40(39)ग्रावि / नरेगा / जीकेएन / 2011 जयपुर, दिनांक: 02/06/2014

15 JUN 2014

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला दर निर्धारण समिति,
समस्त राजस्थान।

विषय :– सॉफ्टवेयर से ग्रामीण कार्य निर्देशिका दर अनुसूची बनाने बाबत।

संदर्भ :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 04.03.2014 एवं 26.03.2014

महोदय,

ग्रामीण कार्य निर्देशिका (जीकेएन) अनुसार दर अनुसूची तय करने के लिये उपरोक्त पत्रों द्वारा निर्देशित किया गया था। दिनांक 8 व 9 मई 2014 को अधिशाषी अभियंता (अभि.) को इस बाबत प्रशिक्षण एवं विस्तार से अवगत कराया जा चुका है। पूर्व में कार्यरत टेस्टिंग मॉड्यूल को समाप्त करते हुये बीएसआर सॉफ्ट मॉड्यूल का स्थाई यूआरएल **rdprdbsr.rajasthan.gov.in** ग्रामीण विकास की वेबसाइट के होमपेज पर एवं सम्बंधित लिंक में उपलब्ध है।

आपसे निवेदन है कि ग्रामीण विकास की वेबसाइट पर उपलब्ध दर विश्लेषण मॉड्यूल से ही वर्ष 2014–15 की बीएसआर पंचायत समितिवार सृजित की जावे। यदि पूर्व में ही वर्ष 2014–15 की कोई बीएसआर सृजित की जा चुकी हो तो उस बीएसआर को इस मॉड्यूल से सृजित किये जाने के प्रयास किये जावें एवं यथासंभव वर्ष 2014–15 की जिले की सभी पंचायत समितियों में सॉफ्टवेयर से सृजित बीएसआर के आधार पर ही कार्यों का संपादन किया जावे। बीएसआर सॉफ्ट से दर अनुसूची तैयार करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (परि.–1), जिला व खण्ड के लॉगिन आईडी व पासवर्ड (परि.–2 व 3) संलग्न है।

सॉफ्टवेयर से सृजित बीएसआर की दरों में गत वर्ष की तुलना में अधिक अन्तर आने अथवा किसी विरोधाभास, अन्य विवरण की स्थिति मे तत्काल मुख्यालय को अवगत कराने का श्रम करावें।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(राजीव सिंह ठाकुर)
[illegible]

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा।
5. निजी सचिव, निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि/ईजीएस/पंरावि/जग्रवि एवं भूसं।
7. अति0 मुख्य अभियंता, ग्रावि एवं पंरावि।
8. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, एसएपी–प्रथम/द्वितीय/ईजीएस/एमएंडई।
9. अधीक्षण अभियंता (प्रोजेक्ट/सेनीटेशन),पंरावि।
10. अधीक्षण अभियंता (ईजीएस, ग्रावि)।
11. अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं सदस्य सचिव जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त।
12. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।
13. विकास अधिकारी/सहायक अभियंता, पंचायत समिति, समस्त।
14. श्री पीयूष शर्मा, एम.आई.एस. मैनेजर, बीएसआर सॉफ्ट।
15. श्री रिंकु, एम.आई.एस. मैनेजर, कार्यालय हाजा को ई–मेल करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

05/06/14

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि